छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक 512/857/06/1/6 रायपुर दिनांक 16 मई, 2006

प्रति,

संचालक,
प्रशासन अकादमी,
मंत्रालय,परिसर,
रायपुर

विषय.—सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के कियान्वयन के संदर्भ में सुझाव ।
संदर्भ.—छत्तीसगढ सूचना आयोग रायपुर,का पत्र दिनांक 5.04.06

छत्तीसगढ सूचना आयोग के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है । आयोग ने अपने पत्र में दर्शाया है कि जिला स्तर से नीचे ब्लाक एवं तहसील स्तर तथा पंचायत स्तरों तक सूचना के अधिकार प्रकरणों के संबंध में प्रशिक्षण पर्याप्त रूप से नहीं दिया गया है जिससे अधिकारियों को यह जानकारी प्राप्त नहीं है कि सूचना संबंधी आवेदन लेते समय कितनी फीस एवं सूचना की प्रतियां प्रदान करते समय कितना शुल्क लिया जाना चाहिए ।

अतएव निवेदन है कि सूचना के अधिकार के तहत आपके द्वारा जब भी आगे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाये तब इस बिन्दु पर विशेष तौर से ध्यान रखा जाये ।

संलग्न — उपरोक्तानुसार

(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार)

पृ.क्र. 513/868/06/1/6 रायपुर,दिनॉक 16/05/2006

प्रतिलिपि—

सचिव,छत्तीसगढ सूचना आयोग,रायपुर की ओर उनके पत्र दिनॉक 5.4.2006 के संदर्भ में सूचनार्थ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार)